न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूँगरपुर

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 86/2025 — दायर दिनांक 31.07.2025
जीसीएमएस नं. 2025/86 — निर्णय दिनांक 26.08.2025

उनवान

श्री बंशीलाल पिता धुलजी कलाल निवासी गामडी तहसील साबला जिला डूँगरपुर

– अपीलाण्ट

बनाम

श्री सरकार जरिये तहसीलदार साबला, तहसील साबला, जिला डूँगरपुर

– रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री प्रेमपुरी गोस्वामी ।
2. राजकीय पैरोकार तहसीलदार साबला।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:निर्णयः– *दिनांक– 26.08.2025*

1. प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार साबला द्वारा प्रकरण संख्या 01/2025 में पारित निर्णय दिनांक 10.07.2025 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील कानूनी, मौके एवं रेकार्ड के तथ्यों पर आधारित होकर इसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। मौझा गामडी तहसील साबला खसरा नम्बर 1033/1 रकबा 0.6229 हेक्टेयर भूमि के पीछे एवं सटकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 879 एवं अन्य खसरों की भूमि स्थित है एवं खसरा संख्या 1033/1 का क्षैत्र मुख्य डामर मार्ग से लगा होने से प्रार्थी अपने पूर्वजो के समय से उनके जरिये अपील में वर्णित भूमि मे से होकर आवागमन करता रहा है एवं कृषि हेतु हल–बेल व ट्रेक्टर इत्यादि सांसाधनो को लाने ले जाने का कार्य करता रहा है, जो आज भी जारी है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि

Scanned with CamScanner

की सुरक्षा व आवागमन के रास्ते मे अन्य किसी अवरोध व अतिक्रमण को रोकने दृष्टि से ही पत्थर डाले गये है जिसका उपयोग किया जाना है तथा प्रार्थी का स्थाई अतिक्रमण नही है। प्रार्थी के दौराने अपील के मौके से बेदखल कर दिया गया तो उक्त भूमि अन्य के कब्जा करने की सभावना होकर प्रार्थी के आवागमन का मार्ग अवरूद्ध कर देने की पूर्ण संभावना है, जिससे अपील के दौरान एवं अपील के अतिम निस्तारण तक मौके की स्थिति को यथावत रखी जाने का आदेश प्रदान करना उचित एवं न्याय संगत है। प्रार्थी को दौराने अपील एवं अपील के अंतिम निस्तारण तक स्थगन आदेश प्रदान नही करने पर प्रार्थी के अपील करने का मकसद ही समाप्त हो जावेगा एवं प्रार्थी को ऐसा नुकसान पहुँचेगा जिसका आंकलन करना संभव नही होकर उसकी भरपाई नही हो पायेगी, जिससे न्याय हित में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को स्थगित किया जाना न्यायसंगत है।

अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी को स्वीकार फरमाया जाकर दौराने अपील एवं अपील के निस्तारण तक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार साबला द्वारा प्रकरण संख्या 01/2025 में पारित निर्णय अपास्त फरमावें।

2. हमने उपरोक्त अपील प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सूनी। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस में अपील प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौझा गामडी तहसील साबला खसरा नम्बर 1033/1 रकबा 0.6225 हेक्टेयर भूमि के पीछे एवं सटकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 879 एवं अन्य खसरों की भूमि स्थित है एवं खसरा संख्या 1033/1 का क्षैत्र मुख्य डामर मार्ग से लगा होने से प्रार्थी अपने पूर्वजो के समय से उनके जरिये अपील में वर्णित भूमि मे से होकर आवागमन करता रहा है एवं कृषि हेतु हल–बेल व ट्रेक्टर इत्यादि संसाधनो को लाने ले जाने का कार्य करता रहा है, जो आज भी जारी है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षा व आवागमन के रास्ते में अन्य किसी अवरोध व अतिक्रमण को रोकने दृष्टि से ही पत्थर डाले गये है जिसका उपयोग किया जाना है तथा प्रार्थी का स्थाई अतिक्रमण नही है। प्रार्थी के दौराने अपील के मौके से बेदखल कर दिया गया तो उक्त भूमि अन्य के कब्जा करने की संभावना होकर प्रार्थी के आवागमन का मार्ग अवरूद्ध कर देने की पूर्ण संभावना है, जिससे अपील के दौरान एवं अपील के अंतिम निस्तारण तक मौके की स्थिति को यथावत रखी जाने का आदेश प्रदान करना उचित एवं न्याय संगत है।

Scanned with CamScanner

अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी को स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार साबला द्वारा प्रकरण संख्या 01/2025 में पारित निर्णय की कियान्विति को स्थगित रखा जाने का आदेश तहसीलदार साबला को प्रदान करावे।

3. *हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया । पत्रावली में उपलब्ध रिकोर्ड/दस्तावेज का ध्यायनपूर्वक अवलोकन किया। मौजा गामडी के आराजी खसरा न. 1033/1 रकबा 0.6229 है0 किस्म चरनोट पर प्रार्थी द्वारा 0.0243 है0 भूमि पर पत्थर डालकर अतिकमण किया गया है। तहसील साबला के अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अतिकमी द्वारा इस आराजी पर पत्थर डालकर अतिकमण किया गया हैं, जिसे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार साबला के निर्णय दिनांक 10.07.2025 द्वारा विधिवत रूप से सुनवाई करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया है, इस निर्णय हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।*

परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 सारहीन होने से खारिज की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 26.08..2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिनेश धाकड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर

Scanned with CamScanner